



खत्याड गाउँपालिका

स्थानीय राजपत्र

खत्याड गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित

खण्ड: ८

संख्या: ६

मिति: २०८३।०३।१०

भाग-१

खत्याड गाउँपालिका

नेपालको संविधान तथा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोजिम गाउँपालिकाले बनाएको ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड स्थानिय राजपत्रमा प्रकाशन गर्न अनिवार्य भएकोले, स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम खत्याड गाउँपालिका गाउँ सभाको २० औँ बैठकले "आर्थिक ऐन, २०८३" स्वीकृत गरेको छ ।

आज्ञाले,

नन्दकृष्ण पाध्याय

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

खत्याड गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,
रामतडी मुगु
आर्थिक ऐन, २०८३

प्रस्तावना

खत्याड गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयनको निमित्त स्थानीय कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना संकलन गर्न, छुट दिन तथा अन्य आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा २३० बमोजिम खत्याड गाउँपालिकाको गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

- (१) संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (क) यस ऐनको नाम "खत्याड गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३" रहेको छ।
- (ख) यो ऐन २०८३ श्रावण एक गते देखि खत्याड गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र लागु हुनेछ।
- (२) घर जग्गा कर(सम्पत्ति कर): खत्याड गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र अनुसूची १ बमोजिम घर जग्गा(सम्पत्ति कर) लगाई असुल उपर गरिनेछ।
- (३) भुमिकर(मालपोत कर): खत्याड गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र अनुसूची(२) बमोजिम भुमिकर(मालपोत कर) लगाई असुल उपर गरिनेछ।
- (४) वहालकर: खत्याड गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनैव्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले साथै अन्य कुनै आमदानी हुने गरि वहालमा दिएकोमा अनुसूची(३) बमोजिम वहाल कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।
- (५) व्यावसाय कर: खत्याड गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र दर्ता वा इजाजत प्राप्त गरि स्थापित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सेवा र यस्तै प्रकारका जुनसुकै कारोवार गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई व्यवसायको प्रकृति वित्तिय तथा आर्थिक कारोवारको स्थान विशेष र लगानीका आधारमा अनुसूची(४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाई असुल उपर गरिनेछ।
- (६) जडिवुटी, कवाडी र जिवजन्तु कर: खत्याड गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडीवुटी, कवाडी माल र अन्य मृत वा मारिएका जिवजन्तुको हाड, सिड, प्वाँख वा छाला जस्ता वस्तुको व्यावसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूची(५) बमोजिमको कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। तर प्रचलित कानूनले निश्चित गरिएको हकमा उल्लेखित व्यवस्था लागु हुने छैन।
- (७) विज्ञापन कर: खत्याड गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र हुने सबै किसिमका विज्ञापनमा अनुसूची(६) बमोजिमको विज्ञापन कर लगाई असुल उपर गरिनेछ।
- (८) मनोरञ्जन कर: खत्याड गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र हुने र शुल्क लिइ संचालन गरिने जुनसुकै प्रकारको मनोरञ्जन व्यावसायमा अनुसूची(७) बमोजिमको मनोरञ्जन कर लगाई असुल उपर गरिनेछ।

(९) बहाल विटौरी शुल्क: खत्याड गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण,रेखदेख, वा संचलान गरेका वा सार्वजानिक वा ऐलानी पर्ति जग्गा वा भवनमा हाटबजार वा पसल वा सडक वा बाटो किनारा वा विशेष मेला पर्वमा अनुसुची(८) मा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल विटौरी शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ।

(१०) सेवा शुल्क दस्तुर:खत्याड गाउँपालिकाले निर्माण संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसुची(९) मा उल्लेखित स्थानीय पुर्वधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राही वाट सोहि अनुसुचिमा व्यवस्था भए बमोजिम सेवा शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ।

(११) घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क: खत्याड गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्रका घर जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्दा अनुसुची(९) मा उल्लेख भए बमोजिम रजिष्ट्रेशन शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ।

(१२) माछा कर:व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि खत्याड खोला तथा यसका सहायका खोलाहरुमा माछा मार्नु अघि अनुसुची(११) बमोजिमको कर लगाई असुल उपर गरिनेछ।

(१३) कर तथा शुल्क संकलन कार्यविधि: यस ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम र अन्यका हकमा यस ऐनसँग नबाझिने गरि खत्याड गाउँपालिकाले तोकेको बमोजिम हुनेछ।

(१४) अन्य व्यवस्था:खत्याड गाउँपालिकाका विषयगत शाखा वडा तथा अन्य कार्यालय बाट सेवाप्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले बुझाउनु पर्ने कर,शुल्क,दस्तुर तथा जरिवनालाई सेवा सँग आवद् गरि अनिवार्य असुल उपर गरि सेवाप्रवाह गर्नु पर्नेछ।

(१५) वन पैदावार शुल्क:सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले प्रचलित कानुन बमोजिम कार्ययोजना बनाई निकालिएको काठ उपभोक्ता समुह बाहिर व्यापारिक प्रयोजनका लागी बिक्रि गरेमा त्यसरी बिक्रि गरी प्राप्त भएको बार्षिक आयको १०% रकम खत्याड गाउँपालिकाको संचित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ।

(१६)नियम वा कार्यविधि बनाउन सक्ने:खत्याड गाउँपालिकाले यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु लाई कार्यन्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियम वा कार्यविधि बनाउन सकिनेछ।

(१७) कर छुट र जरिवाना: यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरु लाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन। तर एम्बुलेन्स सेवामा गर्भवती,अपाङ्ग,७० बर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकलाई ५०% राजस्व छुट दिइनेछ। सम्पूर्ण महिला उपभोक्ता समिति भएको योजनामा योजना सम्झौता र योजना भुक्तानीमा गर्दा लागने दस्तुरमा ५०% राजश्व छुट दिइनेछ। साथै अग्रिम कर बुझाउने करदातालाई बुझाउनु पर्ने राजश्वमा १०% छुट दिइनेछ। तोकिएको समय भित्र कर दाखिला नगर्ने करदातालाई १०% जरिवाना लाग्नेछ।

अनुसुची-१

२ सँग सम्बन्धित

घर जग्गा मूल्याङ्कन दर रेट

आ.व. ०८३/०८४ का लागी घरजग्गा कर निर्धारण गर्दा न्यायोचित एवं तथ्य परक रूपमा गरिनेछ। जग्गा तथा घरको मुल्याङ्कन दर लाई स्थान र बनौटका आधारमा पुनरावलोकन गरी कार्यन्वयनमा ल्याइनेछ।

| विवरण | दर प्रति वर्ग मि.घर रु | अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मि. | अनुमानित आय रु |
|-------|------------------------|-----------------------------|----------------|
| जग्गा | १ | २०००० | २०००० |
| घर | ५० | १००० | ५०००० |

अनुसुची-२

दफा ३ सँग सम्बन्धित

मालपोतको दर रेट

| जग्गाको वर्ग | दर प्रति वर्ग मि. रु | जरिवाना | अनुमानित क्षेत्रफल वर्ग मि. | अनुमानित आय रु |
|--------------|----------------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| अवल | ०.०६ | वार्षिक १०% | १०००० | ६०० |
| दोयम | ०.०५ | वार्षिक १०% | १५०००० | ७५००० |
| सिम | ०.०४ | वार्षिक १०% | २००००० | ८०००० |
| चाहार | ०.०३ | वार्षिक १०% | ७५००००० | २२५००० |

अनुसुची-३

दफा ४ सँग सम्बन्धित

वहाल करको दर रेट

खत्याड गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन,घर,पसल,ग्यारेज,गोदाम,टहरा,जग्गा वा पोखरि वा अन्य सम्पति पुरै वा आंशिक तवरले वहाल दिइएकोमा वहाल अंकको १०% दरले वहाल कर संकलन गरिनेछ। संगठित संघ संस्था,कम्पनी, कार्यालय वा यस्तै प्रकृतिका अन्यले वहालमा वसेवापत वहाल रकम बुझाउँदा श्रोतमा अग्रिम वहाल कर निर्धारण प्रक्रिया:

१)वहालमा दिइएको मितिलाई आधार मानि दैनिक,मासिक,त्रैमासिक,अर्धवार्षिक,वार्षिक अवधिलाई आधारमा मानी बहाक कर बुझाउनु पर्नेछ।

२)खत्याड गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको कार्यविधि अनुसार करदाताले स्वम घोषणा गरेको वा सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको आधारमा वहाल कर निर्धारण गर्ने छौ ।

| अनुमानित घरवहाल | दर प्रति कोठा | कर योग्य कुल मुल्य | वहाल कर | अनुमानित आय रु |
|-----------------|---------------|--------------------|---------|----------------|
| २० | २७५० | ५५००० | १०% | ५५०० |

अनुसुची-४
दफा ५ सँग सम्बन्धित
व्यावसायको करको दर रेट

| कर आय | विवरण | बार्षिक पुर्जीको आधारमा रु | अनुमानित आय पुर्जीको आधारमा रु | | कुल अनुमानित आय | | | | |
|-----------------|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|------|--|
| | | १ लाख सम्म | १-५ लाख सम्म | ५ लाख देखी माथी | १ लाख सम्म | १-५ लाख सम्म | ५ लाख देखी माथी | | |
| व्यापारिक वस्तु | | | | | | | | | |
| | सिडि, डिभिडि बिक्रि, भिडियो, क्यासेट, रिकर्डर, रेडियो, डेक, फोन, घडी बिक्रि तथा मर्मत बिक्रि समेत | ५०० | ७५० | १००० | ५०० | ७५० | १००० | २२५० | |
| | मोबाईल एसेसरिज बिक्रि पसल | ५०० | ७५० | १००० | ५०० | ७५० | १००० | २२५० | |
| | पुस्तक पसल, स्टेशनरी | ५०० | ७५० | १००० | ५०० | ७५० | १००० | २२५० | |
| | कम्प्युटर फोटोकपि तथा अन्य इलोकट्रोनिक्स सामान बिक्रि | ५०० | ७५० | १००० | ५०० | ७५० | १००० | २२५० | |
| | काठ चिरानी लगायत सामान्य लोकल फर्निचर | ७५० | १००० | १५०० | ७५० | १००० | १५०० | ३२५० | |
| | सिलाई केन्द्र | ५०० | ७५० | १००० | ५०० | ७५० | १००० | २२५० | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|----------|--|
| | रड,सिमेन्ट,ज स्तापाता,हार्ड वयर पसल | १००० | १५०० | २००० | १००० | १५०० | २००० | ४५०० | |
| | औषधि पसल | ५०० | ७५० | १००० | ५०० | ७५० | १००० | २२५० | |
| | भेटेनरी औषधि पसल | ५०० | ७५० | १००० | ५०० | ७५० | १००० | २२५० | |
| | खाद्यपदार्थ/ किराना पसल कोल्ड ड्रिङ्क समेत | ५०० | ७५० | १००० | ५०० | ७५० | १००० | २२५० | |
| | तरकारी फलफुल पसल | ५०० | ७५० | १००० | ५०० | ७५० | १००० | २२५० | |
| | दुध,दहि,घिउ तेल बिक्रि पसल | ५०० | ७५० | १००० | ५०० | ७५० | १००० | २२५० | |
| | भाडाकुडा पसल | ५०० | ७५० | १००० | ५०० | ७५० | १००० | २२५० | |
| | सुन चाँदि पसल | ५०० | ७५० | १००० | ५०० | ७५० | १००० | २२५० | |
| विशेषज्ञ तथा परामर्श सेवा | | | | | | | | | |
| | वकिल | २००० | २५०० | ३००० | २००० | २५०० | ३००० | ७५०० | |
| | लेखा परीक्षक | २५०० | २५०० | २५०० | | | ५००० | ५०० ० | |
| | अनुसन्धानक र्ता तथा परामर्शदाता | १५०० | १७५० | २५०० | १५०० | १७५० | २५०० | ५७५० | |
| | सर्भेयर, ईन्जिनियरिङ्ग कन्टेन्सी | १५०० | १७५० | २५०० | १५०० | १७५० | २५०० | ५७५० | |
| | ढुवानी कर्ता कम्पनी | २५०० | २७५० | ३००० | २५०० | २७५० | ३००० | ८२५० | |
| उत्पादन मुलक उद्योग | | | | | | | | | |
| | कोरामाल वा खेरा गइरहेको | ५०० | ७५० | १००० | ५०० | ७५० | १००० | २२५० | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|-------|------|------|-------|-------|--|--|
| माल सामानको प्रयोग वा प्रशोधन गरि उत्पादन गर्ने उद्योग व्यावसाय | | | | | | | | | |
| कृषि वा वन पैदावरमा आधारित अन्य उत्पादनमुलक उद्योग | ५०० | ७५० | १५०० | ५०० | ७५० | १५०० | २२५० | | |
| पर्यटन उद्योग | | | | | | | | | |
| लज गेष्ट हाउस | ५०० | ७५० | १५०० | ५०० | ७५० | १५०० | २२५० | | |
| सेवा व्यवस्थापन | | | | | | | | | |
| फोटो स्टुडियो | ५०० | ७५० | १००० | ५०० | ७५० | १००० | २२५० | | |
| फ्रेस हाउस | ५०० | ७५० | १००० | ५०० | ७५० | १००० | २२५० | | |
| छापा, छापा खाना | १००० | १५०० | २००० | १००० | १५०० | २००० | ४५०० | | |
| वित्तिय सेवा व्यावसाय | | | | | | | | | |
| आर्थिक कारोवार समेत गर्ने वित्तिय कम्पनीको कार्यालय | २५०० | ३५०० | ५००० | २५०० | ३५०० | ५००० | ११००० | | |
| सहकारी संस्था दर्ता | ३००० | २५०० | ५००० | ३००० | २५०० | ५००० | १०५०० | | |
| बिमा कम्पनि | | | ५००० | | | ५००० | ५००० | | |
| स्वास्थ्य सेवा व्यावसाय | | | | | | | | | |
| सामुदायिक वा गैर | | | १०००० | | | १०००० | १०००० | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|------|--------|------|------|------------|-----------|--|
| | सरकारी अस्पताल | | | | | | | | |
| | क्लिनिक तथा ल्याव | | | ५००० | | | ५००० | ५००० | |
| | शैक्षिक सेवा | | | | | | | | |
| | क्यामपस | | | ५००० | | | ५००० | ५००० | |
| | तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र | | | ५००० | | | ५००० | ५०० ० | |
| | कम्प्युटर तथा भाषा प्रशिक्षण संस्था | | | ५००० | | | ५००० | ५०० ० | |
| | निजि,विद्याल य प्राविधिक | | | ५००० | | | ५००० | ५००० | |
| | अन्य सेवा | | | | | | | | |
| | साइनबोर्ड बनाउने पेन्टिङ्ग सेवा | ५०० | ७५० | १००० | ५०० | ७५० | १००० | २२५० | |
| | विरुवा बिक्रेता(नर्स री) | ७५० | १००० | १२५० | ७५० | १००० | १२५० | ३००० | |
| | निर्माण सेवा | | | २००००घ | | | २००० ०घ | २००० ० | |
| | उर्जा मुलक उद्योग | | | | | | | | |
| | हाइड्रो पावर | १००० | १५०० | २००० | १००० | १५०० | २००० | ४५०० | |
| | सोलार बिक्री | २५०० | २७५० | २०००० | २५०० | २७५० | २००० ० | ४५०० | |

अनुसुची-५

दफा ६ सँग सम्बन्धित

जडिवुटी, कवाडि माल, जिबजन्तु करको दर रेट

खोटो, जडिवुटी, बनकस, कवाडीमाल, जिबजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जिबजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यावसायिक कारोबार गरेवापत जडिवुटी, कवाडि माल, जिबजन्तु कर लगाइनेछ ।

क) तामाजन्य सामानको लागि प्रति किलोग्राम रु ५०=(६qt*५०००=३००००)

ख) फलामजन्य सामानको लागि प्रति किलोग्राम रु ५=(१०qt*५००=५०००)

ग) सिलपट,स्टिलजन्य सामानको लागि प्रति किलोग्राम रु ५=(२०qt*५००=१००००)

घ) अन्यका हकमा रु प्रति किलोग्राम रु१=(३००qt*१००=३००००)

*जडीवुटी कर निम्नुसार हुनेछः

क)गुच्ची च्याउ रु ५०० प्रति किलोग्राम

ख)चिरौँइतो रु ५ प्रति किलोग्राम

ग)कटुकी रु १० प्रति किलोग्राम

घ)खिरौला रु २ प्रति किलोग्राम

ङ)रातो च्याउ रु १०० प्रति किलोग्राम

च) इयाउ रु ५ प्रति किलोग्राम

छ)पदमचाल रु १प्रति किलोग्राम

ज)पाखनवेद रु १प्रति किलोग्राम

झ)बोझो रु १प्रति किलोग्राम

ञ)चुत्रो रु १प्रति किलोग्राम

ट) सतुवा रु ५ प्रति किलोग्राम

ठ)समयो रु ५ प्रति किलोग्राम

ड)धुपी रु १ प्रति किलोग्राम

ढ)कारसिङ्गे रु १ प्रति किलोग्राम

ण)विरालगानो रु १ प्रति किलोग्राम

त)कालादाना रु १ प्रति किलोग्राम

थ)गद्दानो रु ५ प्रति किलोग्राम

द)बुढी हद्यालो रु १ प्रति किलोग्राम

अनुसुची-६
दफा ७ सँग सम्बन्धित
विज्ञापन करको दर रेट

क) विज्ञापन कर निम्नुसार हुनेछः

- १) भवनमा झ्याल छोपेर परिचय पाटी वा विज्ञापन सामाग्री राखपाइने छैन।
- २) वाटोको सिमाना देखि १०फिट भित्र तथा सधियारको सिमाना देखि ५ फिट भित्र र सार्वजनिक स्थान वा संस्थान वा कार्यालय वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा विज्ञापन सामाग्री राख पाइने छैन।
- ३) भवन जमिन, व्यापारिक, व्यावसायिक केन्द्र होटल वा रेष्टुरेन्ट विद्यालय वा जुनसुकै भित्री भागमा विज्ञापन गर्ने प्रयोजनका लागि राखिएका प्रचार सामाग्री विज्ञापन कर छुट हुने छैन।

ख) विज्ञापन करको दरः

- १) होर्डिङ्ग बोर्ड र फ्लेक्सबाट तयार गरिएका विज्ञापन प्रचार सामाग्री प्रतिवर्ष रू १०० (५०*१००=५०००)
- २) खेलकुद मैदान, मेला पर्व वा मनोरञ्जन र यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम हुने विज्ञापन प्रचार सामाग्रीको अधिकतम पन्ध्र दिनका लागि प्रतिदिन रू १०० का दरले (१०*१००=१०००)

अनुसुची-७
दफा ८ सँग सम्बन्धित
मनोरञ्जन करको दर रेट

कुनै संस्था कम्पनि वा व्यक्तिले मेला वा मनोरञ्जन प्रदायक कार्यक्रम संचालन गराए वापत दैनिक १००० वा मासिक रू ५००० मनोरञ्जन कर असुल उपर गरिनेछ। (२*५०००=१००००)

अनुसुची-८
दफा ९ सँग सम्बन्धित
बहाल विटौरी शुल्कको दर रेट

खत्याड गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण रेखदेख वा संचालन गरेका सार्वजनिक ऐलानि पर्ति जग्गा वा भवन वा हाटबजार वा पसल वा सडक वा बाटो किनारामा स्थान मुल्याङ्कन गरी मासिक रू १००० देखि २५०० सम्म बहाल विटौरी शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ। (३०*१०००=३००००)

अनुसुची-९
दफा १० र ११ सँग सम्बन्धित
सेवा शुल्क तथा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर

| क्र.सं. | विवरण | आ.व.०८३/०८४ को लागि करको दर | आ.व.०८३/०८४ का लागि अनुमानित परिणाम | आ.व.०८३/०८४ को लागि कुल अनुमानित आय | कै |
|---------|-------|-----------------------------------|--|---|----|
|---------|-------|-----------------------------------|--|---|----|

| | | | | | |
|----|--|-------|------|--------|--|
| १ | घर जग्गा रजिष्ट्रेशन तथा नामसारि सिफारिस | ५०० | १०० | ५०००० | |
| २ | घर कर(सम्पति कर) | ५० | ३५०० | १७५००० | |
| ३ | घर कायम सिफारिस | १००० | १५ | १५००० | |
| ४ | छात्रवृत्ति सिफारिस | ५०० | १० | १०००० | |
| ५ | विपन्न विद्यार्थि छात्रवृत्ति सिफारिस | ० | ० | ० | |
| ६ | अपाङ्ग सिफारिस | ० | ० | ० | |
| ७ | बसाँइ सराइ(अस्थायी) | ० | ० | ० | |
| ८ | बसाँइ सराइ(स्थायी) सिफारिस | १००० | १० | २५००० | |
| ९ | नागरिकता सिफारिस | १०० | १०० | १०००० | |
| १० | आर्थिक अवस्था सम्बन्धि बलियो | ५००० | २ | १०००० | |
| ११ | आर्थिक अवस्था सम्बन्धि कमजोर | ५० | २० | १००० | |
| १२ | व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिलिपि | ५०० | ३० | १५००० | |
| १३ | जग्गा मूल्याङ्कन सिफारिस | ५०० | २ | १००० | |
| १४ | व्यावसाय दर्ता | १७६० | २० | ८८००० | |
| १५ | व्यावसाय संचालन नभएको सिफारिस | २०० | १० | २००० | |
| १६ | नाबालक सम्बन्धि सिफारिस | १०० | १५० | १५००० | |
| १७ | उद्योग ठाँउसरी नामसरी सिफारिस | १००० | ५ | ५००० | |
| १८ | विद्यालय ठाँउसरी सिफारिस | ३००० | १ | ३००० | |
| १९ | आन्तरिक बसाँइ सराई सिफारिस(पालिका भित्र) | ५०० | २० | २०००० | |
| २० | विद्यालय कक्षा वृद्धि सिफारिस(निजि) | १५००० | २ | ३०००० | |
| २१ | पुर्व प्रथामिक विद्यालय खोल्ने सिफारिस | १५००० | ० | ० | |
| २२ | व्यक्तिगत विवरण सिफारिस | १०० | २० | २००० | |
| २३ | जग्गा दर्ता सिफारिस | १००० | १० | १०००० | |
| २४ | विद्यालय वा संकाय वृद्धि सिफारिस | ५००० | २ | १०००० | |
| २५ | किताकाट सिफारिस | १०० | २० | २००० | |
| २६ | सरकारको नाममा बाटो कायम प्रमाणित सिफारिस | १००० | ४ | ४००० | |

| | | | | | |
|----|---|----------------|-----|--------|--|
| २७ | नाता प्रमाणित सिफारिस नेपाली | १०० | २०० | २०००० | |
| २८ | निशुल्क बा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस | १०० | १० | १००० | |
| २९ | संस्था दर्ता सिफारिस | १०० | ५ | ५०० | |
| ३० | समुह दर्ता सिफारिस | १०० | ३० | ३००० | |
| ३१ | घर बाटो प्रमाणित | ५०० | १० | ५००० | |
| ३२ | चार किल्ला प्रमाणित | १००० | ५ | ५००० | |
| ३३ | जन्म मिति प्रमाणित | १०० | १० | १००० | |
| ३४ | विवाह प्रमाणित | ५०० | १० | ५००० | |
| ३५ | घरधुरी प्रमाणित | ५०० | १० | ५००० | |
| ३६ | फरक फरक जन्म मिति प्रमाणित सिफारिस | १०० | २० | २००० | |
| ३७ | अन्य प्रमाणित | १०० | ५० | ५००० | |
| ३८ | अविवाहित प्रमाणित | १००० | ० | ० | |
| ३९ | जग्गा धनिको लालपुर्जा हराएको सिफारिस | ५०० | १० | ५००० | |
| ४० | मिलापत्र वापतको शुल्क | १००० | १० | १०००० | |
| ४१ | योजना माग सिफारिस | २०० | ५० | १०००० | |
| ४२ | योजना भुक्तानी | १००० | १५० | १५०००० | |
| ४३ | योजना सम्झौता | ५०० | १५० | ७५००० | |
| ४४ | जन्म मृत्यु बसाँइ सराइ सम्बन्ध विच्छेद दर्ता ३५ दिनभित्र निशुल्क त्यसपछि रु | २०० | १०० | २०००० | |
| ४५ | घर जग्गा भेरिफिकेसन | ५०० | २ | १००० | |
| ४६ | जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क | कुल मुल्यको ५% | | | |
| ४७ | कक्षा ८ को ग्रेडसिट प्रतिलिपि | ५०० | १० | ५००० | |
| ४८ | कक्षा ८ को प्रमाणपत्र प्रतिलिपि | ५०० | १० | ५००० | |
| ४९ | उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि सिफारिस | ५०० | १ | ५०० | |
| ५१ | पुनर्योग नतिजा शुल्क(प्रति विषय) | २०० | २० | ४००० | |
| ५२ | नतिजा,पुन परीक्षण शुल्क(प्रतिविषय) | ५०० | १० | ५००० | |
| ५३ | प्रवेश शुल्क(आन्तरिक) | १०० | २० | २००० | |
| ५४ | प्रवेश शुल्क(वाहय) | २०० | २० | ४००० | |
| ५५ | सडक प्रवेश शुल्क(प्रति टिप) | ५०० | ० | ० | |
| ५६ | व्यावसाय नवीकरण | ७५० | १० | ७५०० | |

| | | | | | |
|----|--|-------|---|-------|--|
| ५७ | समुह नवीकरण | ५०० | ५ | २५०० | |
| ५८ | संस्था नवीकरण | १००० | ५ | ५००० | |
| ५९ | ठेक्का नवीकरण(घ) | ३५०० | ५ | १०५०० | |
| ६० | होमस्टे दर्ता शुल्क | ३००० | २ | ६००० | |
| ६१ | होमस्टे नवीकरण शुल्क | १५०० | ० | ० | |
| ६२ | घ वर्ग इजाजत पत्र प्रतिलिपि दस्तुर | ३५०० | २ | ७००० | |
| ६३ | इजाजतपत्र नामसरी तथा ठाउँसरी | ८००० | ० | ० | |
| ६४ | इजाजतपत्र सिफारिस दस्तुर | १५०० | ३ | ४५०० | |
| ६५ | वित्तिय कम्पनी शाखा तथा लघुवित्त आवद्धता शुल्क | २५००० | १ | २५००० | |
| ६६ | वित्तिय कम्पनी शाखा तथा लघुवित्त नवीकरण शुल्क | ५००० | १ | ५००० | |
| ६७ | सहकारी आवद्धता शुल्क | ३००० | ४ | १२००० | |
| ६८ | सहकारी नवीकरण शुल्क | १००० | २ | २००० | |
| ६९ | हेयर कटिङ्ग दर्ता शुल्क | १५०० | १ | १५०० | |
| ७० | हेयर कटिङ्ग नवीकरण शुल्क | ७५० | ० | ० | |
| ७१ | व्युटि पावलर दर्ता शुल्क | १५०० | २ | ३००० | |
| ७२ | व्युटि पावलर नवीकरण शुल्क | ७५० | २ | ७५० | |
| ७३ | फ्रेस हाउस दर्ता शुल्क | १५०० | ५ | ७५०० | |
| ७४ | फ्रेस हाउस नवीकरण शुल्क | ७५० | २ | १५०० | |
| ७५ | गैर सरकारी संस्था आवद्धता शुल्क | १५००० | २ | ३०००० | |
| ७६ | गैर सरकारी संस्था नवीकरण शुल्क | ४५०० | ६ | २७००० | |
| ७७ | टेलर दर्ता शुल्क(सिलाई) | १५०० | ५ | ७५०० | |
| ७८ | टेलर नवीकरण शुल्क | ७५० | २ | १५०० | |
| ७९ | सहकारी नवीकरण शुल्क | १००० | ३ | ३००० | |
| ८० | वेकरी उद्योग दर्ता शुल्क | १५०० | २ | ३००० | |

| | | | | | |
|-----|--|-------|-----|---------|--|
| ८१ | वेकरी उद्योग नवीकरण शुल्क | ७५० | २ | १५०० | |
| ८२ | कुटानी पिसानी मिल दर्ता शुल्क | १५०० | ५ | ७५०० | |
| ८३ | कुटानी पिसानी मिल नवीकरण शुल्क | ७५० | १ | ७५० | |
| ८४ | खेस्मालिका एफ.एम रेडियो सुचना प्रति हप्ता | ५०० | ५ | २५००० | |
| ८५ | खेस्मालिका एफ.एम रेडियो सुचना मासिक | १५०० | ५ | ७५०० | |
| ८६ | खेस्मालिका एफ.एम.रेडियो अर्धवार्षिक | २५०० | २ | २५०० | |
| ८७ | खेस्मालिका एफ.एम.रेडियो सुचना प्रकाशन वार्षिक | ५००० | २ | १०००० | |
| ८८ | खेस्मालिका एफ.एम.रेडियो विज्ञापन प्रकाशन प्रति हप्ता | १००० | ३ | ३००० | |
| ८९ | खेस्मालिका एफ.एम.रेडियो विज्ञापन प्रकाशन मासिक | ५००० | ५ | २५००० | |
| ९० | खेस्मालिका एफ.एम.रेडियो विज्ञापन प्रकाशन अर्धवार्षिक | १५००० | २ | ३०००० | |
| ९१ | खेस्मालिका एफ.एम.रेडियो विज्ञापन प्रकाशन वार्षिक | २५००० | ० | ० | |
| ९२ | शिक्षक सहमति वा अनुमति शुल्क | १००० | १० | १०००० | |
| ९३ | टिपर शुल्क प्रति दिन | ७००० | ६४ | ४४८००० | |
| ९४ | जे.सि.वि. शुल्क प्रति दिन | १४००० | १०० | १४००००० | |
| ९५ | समुह दर्ता शुल्क | १००० | १० | १०००० | |
| ९६ | संस्था दर्ता शुल्क | ५००० | २ | १०००० | |
| ९७ | संस्था नवीकरण शुल्क | १५०० | १० | १५००० | |
| ९८ | सहकारी दर्ता शुल्क | ३००० | १ | ३००० | |
| १०१ | संस्था आवद्धता शुल्क | ४५०० | ५ | २२५०० | |

| | | | | | |
|-----|--|-----------|-----|-----------|--|
| १०२ | फार्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि शुल्क | १००० | ३ | ३००० | |
| १०३ | व्यावसाय दर्ता सिफारिस | १०० | ४० | ४००० | |
| १०४ | पेन्सन पट्टा सिफारिस | १०० | १० | १००० | |
| १०५ | फार्म सुचीकृत | २०० | ५० | १००० | |
| १०६ | मन्जुरी नामा लिखित | २०० | २० | ४००० | |
| १०७ | निवेदन शुल्क | १० | ५०० | ५००० | |
| १०८ | अन्य कर | १०० | २०० | २००० | |
| १०९ | दहत्तर बहत्तर कर(ढुंगा गिट्टि बालुवा) | ५०,००,००० | | ५०,००,००० | गाउँका र्यपालि काले निर्माण गरेको कार्यविधि अनुसार |

अनुसुची-१०
दफा १२ सँग सम्बन्धित
माछा कर

व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि खत्याड खोला तथा यसका सहायक खोलाहरूमा माछा मार्नु अघि तपशिल बमोजिमको कर लगाइ असुल उपर गरिनेछ।

| कर आय | विवरण | ठाँउ विशेषका आधारमा | | | | कुल अनुमानित आय |
|-------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|-----------------|
| | | माझचौर देखी बाउपानी सम्म | चुलिभिटा देखि माझचौर सम्म | कर्णाली दोभान देखि चुलिभिटा सम्म | बाजुरा जिल्ला सँग सिमाना जोडिएको काठे पहडा देखी विनाको मालुवाद्वारा सम्म | |
| | | व्यापारिक वस्तु कर | | | | |
| | माछामार्ने प्रयोजनका लागि | ५००० | १०००० | १५००० | ३०००० | ६०००० |

अनुसुची-११
दफा १५ सँग सम्बन्धित
जरिवाना

खत्याड गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र करका दायरा भित्र आउन अटेर गर्ने निषेधित तथा प्रचलित कानून विपरितका कार्य गर्ने लाई पहिलो पटक रु ५०० जरिवाना गरिनेछ। पटके रुपमा पत्राउ पर्नेका हकमा माथि उल्लेखित जरिवानामा प्रत्येक पटक दोब्बर जरिवाना हुनेछ। यस प्रकारका कार्यमा खटिने कर्मचारी सँग फिल्डमा अनावश्यक विवाद गरेमा सो प्रकृति अनुसारको थप कारवाही तथा जरिवाना गरिनेछ। (१००*५००=५००००)

खत्याड गाउँपालिका, सुन